न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /   / निगरानी / भू.रा. / ग्वालियर / 2019

निगरानी-0263/2019/दतिया/भू.रा.

दिनांक 11-2-19 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत / 11-2-19

पे०दि० 21-2-19

श्रीमती कपूरी पुत्री स्व. श्री दौला पत्नी श्री आशाराम गडरिया निवासी ग्राम डामरौन तहसील करैरा जिला शिवपुरी (म.प्र.)

.... आवेदिका

विरुद्ध

1. पीताराम पुत्र श्री अंता पाल/गडरिया निवासी ग्राम उद्‌गुवां तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)
2. मु. रामकली पुत्री श्री दौला वेवा पत्नी देवीलाल, निवासी बड़ोनीखुर्द तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध आदेश माननीय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 182/द्वितीय अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 8 जनवरी 2019

माननीय महोदय,

आवेदिका की निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

1. यहकि, प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम खरग की भूमि खाता क्रमांक 208 रकवा 3.55 हैक्टेयर में से 1/3 भाग दौला के नाम पर था आवेदिका के पिता दौला एवं माँ का स्वर्गवास के बाद फर्जी वसीयत के आधार पर पंजी क्रमांक 22 पर दिनांक 20.1.95 को नामांतरण करा लिया गया था जिसकी प्रथम वं द्वितीय अपील क्रमशः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा निरस्त की गई थी। वर्तमान निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 8.1.19 से दुखित होकर प्रस्तत की जा रही है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक –निगरानी/दतिया/भू रा/2019/263

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ आदि के हस्ताक्ष
11-04-19	यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 182/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 8–1–2019 के विरुद्ध म0प्र0भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों के कम में म0प्र0भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (यथा सॅशोधन अधिनियम प्रभावशाली दिनांक 25–9–2018) का अवलोकन किया गया । इस सॅशोधन के अनुसार धारा 50 में निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है– धारा 50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन – (क) इस संहिता के अधीन अपीलीय किसी आदेश के विरुद्ध, (ख) इस संहिता के अधीन द्वित्तीय अपील में पारित किसी आदेश के विरुद्ध । ग्रहण नहीं किया जायेगा। संहिता में हुये उक्तानुसार सॅशोधन के फलस्वरुप अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वित्तीय अपील कमांक 182/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 8–1–2019 के विरुद्ध दिनांक 11–2–19 को प्रस्तुत पुनरीक्षण ग्राह्य योग्य नहीं होने अमान्य किया जाता है। सदस्य	